# तथ्य पत्रक - तत्काल स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश

**तत्काल स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश क्या करता है?**

प्रधानाचार्यों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) के कर्मियों जैसे कुछ लोगों को 'प्राधिकृत व्यक्ति' कहा जाता है। जब आप स्कूल जाते/जाती हैं या उसके साथ संलग्न होते हैं, तो उनके पास आपके लिए नियमों का निर्धारण करने वाले आदेश बनाने की शक्ति है जिनका आपको पालन करना होता है।

एक आदेश आपको स्कूल के परिसर या ऐसे अन्य स्थलों पर प्रवेश करने या वहाँ उपस्थित रहने से रोकता है, जहाँ स्कूल की गतिविधियाँ होती हैं। आदेश में इस प्रकार के विवरण शामिल हो सकते हैं, जैसे वे समय, या वे क्षेत्र जहाँ आदेश लागू नहीं होता है।

स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेशों के बारे में और अधिक जानकारी [यहाँ](https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders) प्राप्त की जा सकती है। आप [यहाँ](https://vimeo.com/723185699/0195aac2e2) एक वीडियो देख सकते/सकती हैं जिससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश क्या करते हैं।

**तत्काल आदेश (Immediate Order) की अवधि कितनी होती है?**

आदेश आपको यह भी बताता है कि ये नियम कब तक लागू रहेंगे। एक आदेश अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए ही लागू रह सकता है।

**यदि मेरा बच्चा/मेरी बच्ची स्कूल में है, तो मुझे तत्काल आदेश का पालन करने की आवश्यकता होने पर अब उनके साथ क्या होता है?**

आपके स्कूल ने इस बारे में ध्यान से सोचा है कि आदेश आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कैसे प्रभावित करेगा और आप उनकी देखभाल कैसे करते/करती हैं। आदेश का उद्देश्य आपको उनकी देखभाल करने या उनकी शिक्षा में शामिल होने से रोकना नहीं है।

आपका स्कूल आपको आदेश देने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आपको एक 'संचार और पहुँच प्रोटोकॉल' ( ‘Communications and Access Protocol’) देगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि:

* आपको अपने बच्चे/अपनी बच्ची की शिक्षा के बारे में कैसे बताया जा सकता है
* आपका बच्चा/आपकी बच्ची स्कूल जाना और सुरक्षित रूप से स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना कैसे जारी रख सकता/सकती है
* वे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे कि आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समर्थित किया जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है।

**यदि मैं तत्काल आदेश से सहमत नहीं हूँ, तो क्या होगा?**

आदेश बनाने के बाद इस बारे में विचार करने के लिए आदेश बनाने वाले प्राधिकृत व्यक्ति को तुरंत आदेश की समीक्षा करनी होगी, कि क्या उन्हें 'लगातार चलने वाला स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश' (‘Ongoing School Community Safety Order’) बनाना चाहिए या फिर आदेश को रद्द कर देना चाहिए। लगातार चलने वाले आदेशों के बारे में और अधिक जानकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) की वेबसाइट पर [यहाँ](https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders) से प्राप्त की जा सकती है।

आप किसी भी समय यह समझाने के लिए प्रस्तुति जमा कर सकते/सकती हैं कि आपने उस तरीके से व्यवहार क्यों किया, यह आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कैसे प्रभावित करेगा या ऐसी कोई अन्य बात, जिसके बारे में उन्हें जानने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आप स्कूल को यह बताने के/की इच्छुक हो सकते/सकती हैं कि आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कोई विकलांगता है, ताकि स्कूल यह सुनिश्चित कर सके कि आप स्कूल जाने के लिए उन्हें समर्थित करना जारी रख सकते/सकती हैं।

लिखित प्रस्तुति प्राधिकृत व्यक्ति को भेजी गई ईमेल या पत्र हो सकता है। आप शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training website) की वेबसाइट पर [यहाँ](https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders) उपलब्ध टेम्पलेट का प्रयोग कर सकते/सकती हैं।

यदि आप प्रस्तुति लिखना नहीं चाहते/चाहती हैं, तो इसके बजाय आप एक मौखिक प्रस्तुति देने के लिए पूछ सकते/सकती हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति से भी आपकी ओर से प्रस्तुति जमा करने के लिए पूछ सकते/सकती हैं, जैसे आपका विकलांगता समर्थन-व्यक्ति या दुभाषिया।

**यदि मैं आदेश का पालन नहीं करता/करती हूँ, तो क्या होगा?**

यदि आप आदेश में निर्धारित किए गए नियमों का पालन नहीं करते/करती हैं, तो आपसे आदेश का पालन करवाने के लिए स्कूल मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट न्यायालय यह फैसला लेता है कि आपने किसी आदेश का पालन नहीं करने की गलती की थी, तो वे:

* आपके ऊपर आवश्यक जुर्माना लगा सकते हैं
* आपके लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य बना सकते हैं
* आदेश के पालन के लिए आपके ऊपर कुछ विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता लागू कर सकते हैं
* न्यायालय के विचार में कोई अन्य उपयुक्त कार्य करने की आवश्यकता आपके ऊपर लागू कर सकते हैं।

आदेश का पालन नहीं करने के कारण आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, या आपको आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक दंड नहीं दिया जाएगा।

**यदि मुझे अनुवादक/दुभाषिए या किसी अन्य समर्थन की आवश्यकता है, तो क्या होगा?**

यदि आपको अनुवादक, दुभाषिए या समर्थन व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आप स्कूल के प्रधानाचार्य को बता सकते/सकती हैं जो समर्थन प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

यदि आपका बच्चा/आपकी बच्ची सरकारी स्कूल में जाता है, तो और अधिक समर्थन के लिए आप शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) के क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते/सकती हैं।

|  |  |
| --- | --- |
| उत्तर पूर्वी विक्टोरियाफोन: 1300 333 231ईमेल: nevr@education.vic.gov.au  | उत्तर पश्चिमी विक्टोरियाफोन: 1300 338 691ईमेल: nwvr@education.vic.gov.au  |
| दक्षिण पूर्वी विक्टोरियाफोन: 1300 338 738ईमेल: sevr@education.vic.gov.au  | दक्षिण पश्चिमी विक्टोरियाफोन: 1300 333 232ईमेल: swvr@education.vic.gov.au  |

**यदि मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होगा?**

आप और अधिक जानकारी के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) की वेबसाइट पर [यहाँ](https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders) जा सकते/सकती है।